



महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली  
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक : एम.जे.पी.रू.वि./प्रशा./एफ- /2020 /196

दिनांक : 20.01.2020

## संशोधित कार्यालय आदेश

शिक्षक संघ (रूटा) द्वारा मूल्यांकन/प्रयोगिकी परीक्षा व अन्य कार्य हेतु आने वाले शिक्षकों को निजी वाहन से यात्रा की स्थिति में यात्रा भत्ता हेतु ए.सी. द्वितीय श्रेणी के किराये की मांग की थी। उक्त पर कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 23.07.2019 के प्रस्ताव सं० 06 पर निम्नवत निर्णय लिया गया है-


“जो कार्यरत शिक्षक नियमानुसार ए.सी. प्रथम श्रेणी में यात्रा हेतु अधिकृत है केवल उनको निजी वाहन से यात्रा प्रमाणित करने पर ए.सी. द्वितीय श्रेणी की दर से भुगतान की दर पर सहमति प्रदान की गई। शेष शिक्षकों के लिए स्थिति यथावत रहेगी।”

उपरोक्त कार्यालय आदेश को वित्त अधिकारी महोदय की आख्या दि० 18.01.2020 में यात्रा प्रमाणित शब्द को स्पष्ट किया गया है कि “टी.ए. बिल के प्रमाणपत्र स्वयं ही दिये जाते हैं।” के अनुरूप संशोधित समझा जाएं।

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वित्त अधिकारी
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय परिसर।
- ✓ 3. अध्यक्ष/महामंत्री रूटा।
4. परीक्षा नियन्त्रक।
5. निजी सचिव, कुलपति।
6. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव।
7. प्रभारी विश्वविद्यालय वेबसाइट

  
कुलसचिव